5 रु. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

(60)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यु ग्वालियर

प्र. क्र /2015–16 निगरानी निग -2889-PBR-16

1 आशाराम पिता नंदराम चौहान
आयु 45 वर्ष, धंधा– कृषि
2 श्रीमती कमलाबाई पत्नि रामेश्वर
आयु– 50 वर्ष, धंधा– कृषि
निवासीगण – ग्राम चांदमुख तह.
व जिला उज्जैन

श्री दीपक कुमावत
अभि० द्वारा उज्जैन केन्द्र
पर प्रस्तुत
22-8-16

.................निगरानीकर्ता

विरूद्ध

बापुलाल पिता मेरजी आयु 70 वर्ष
धंधा– कृषि, निवासी ग्राम ~~कृषि~~ चांदमुख
तहसील व जिला उज्जैन

...........रेस्पॉन्डेंट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भु.राजस्व संहिता

माननीय महोदय
प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील उज्जैन जिला उज्जैन (समक्ष श्री संजय शर्मा) के द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ–12/15–16 बापुलाल विरूद्ध आशाराम में पारित **अंतरिम आदेश दिनांक 21.07.16** से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका निम्नासार प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

अ यह कि रेस्पांडेंट/आवेदक द्वारा ग्राम दाउदखेडी तह. व जिला उज्जैन के द्वारा म.प्र. भु–रा.स. 1959 की धारा 131 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम दाउद खेडी की भूमि सर्वे क. 114/2 रकबा 2.091 हे. का भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना लेख किया है एवं अनावेदक आशाराम पिता नंदाजी के नाम से ग्राम दाउदखेडी में भूमि सर्वे. क. 114/1/1 रकबा 0.836 है0 तथा सर्वे न. 113/1/1 रकबा 0.418 हे. तथा कमलाबाई पति रामेश्वर के नाम से भूमि सर्वे न. 113/1/2 रकबा 1.045 हे. भूमि स्थित है । उपरोक्त वर्णित भूमिया पूर्व से एक

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

60

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2889-पीबीआर/16 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	